

छत्तीसगढ़ शासन
आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की नवीन छात्रवृत्ति के लिये

आवेदन-पत्र

[पूर्व माध्यमिक (मिडिल), (हाई), शालाओं के लिये]

वर्ष

1. प्रार्थी का पूरा नाम
2. प्रार्थी के पिता/पालक का नाम
पता-स्थान.....तहसील.....जिला.....
3. माता/पिता या पालक का व्यवसाय
4. जाति..... उप-जाति.....धर्म..... (प्रमाण पत्र सहित)
5. शिक्षण संस्था का नाम
6. कक्षा
7. इस वर्ष शिक्षण संस्था में प्रवेश की तिथि
8. गत वार्षिक परीक्षा का परिणाम (उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण) यदि अनुत्तीर्ण हो, तो
9. प्रार्थी यदि किसी शासकीय या शासन द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावास में रहता है, तो उसका नाम
10. क्या प्रार्थी को अनुक्रमांक 9 के अनुसार उक्त छात्रावास में शिष्यवृत्ति मिलती है
11. पिछली शाला का नाम जहां से स्थानांतरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
12. विगत वर्षों में प्राप्त छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी प्रारंभ से अन्त तक निम्नानुसार है :-

अनुक्रमांक	वर्ष	कक्षा जिममें छात्रवृत्ति प्राप्त की	शाला का नाम जहां अध्ययन किया	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान

दिनांक

.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

कृ.प.उ...

प्रमाण-पत्र

मेरी जानकारी तथा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रार्थी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है. प्रार्थी का अभ्यास, चाल-चलन आदि समाधानकारक है, मैं प्रार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिए सिफारिश करता हूँ.

स्थान.....

.....

दिनांक.....

प्राचार्य/प्रधान पाठक के हस्ताक्षर और मुद्रा

टीप:-

1. राज्य छात्रवृत्ति नियमावली वर्ष 1972 के नियम 3 के उप-नियम 14 द्वारा निम्न अधिकारियों को जाति प्रमाणपत्र हेतु अधिकृत किया गया है :- जिलाध्यक्ष, उप-संचालक, आदिमजाति कल्याण, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, आदिमजाति कल्याण/जिला आदिमजाति कल्याण, सहायक दण्डाधिकारी, संसद सदस्य, राज्य विधान सभा सदस्य, म्युनिसिपल कौंसिलर, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत के सरपंच, मण्डल संयोजक, आदिमजाति कल्याण.
2. जाति प्रमाण तथा आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 1.8.1996 को दिये निर्देश एवं विहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र./07/सा.प्र.वि./2001/1-3 रायपुर दिनांक 24.9.01 के अनुसार छात्रवृत्ति प्रयोजन के लिए पटवारी/सरपंच/पार्षद छात्रवृत्ति प्रयोजन के लिये जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।

स्वीकृति-आदेश

क्रमांक/

दिनांक

आयुक्त, आदिवासी विकास, म. प्र., भोपाल के ज्ञापन क्रमांक रा. छा./232/29934 दिनांक 30-9-91 के तहत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य छात्रवृत्ति नियमावली में निहित निर्देशों के अनुसार संलग्न नवीन/नवीनीकरण प्रपत्र में दर्शित अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति वर्ष हेतु निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

वर्ग/कक्षा (यालक/बालिका)	नवीन संख्या-राशि	नवीनीकरण संख्या-राशि	योग संख्या-राशि
3 से 5			
6 से 8			
9 से 10			
योग			

(अक्षरी रु.)

हस्ताक्षर
स्वीकृतकर्ता/पदमुद्रा

पृ. क्र.

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.
2. संबंधित शाखा प्रबंधक

स्थान :-

हस्ताक्षर/पदमुद्रा

दिनांक :-